

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2961

बुधवार, 26 मार्च, 2025 (5 चैत्र, 1947, (शक) को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के सदस्यों को लाभ

2961 # श्री रामभाई हरजीभाई मोकरिया:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) में अपने सदस्यों को लाभांश वितरित करने का प्रावधान है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ख) जी हाँ मान्यवर, सहकारिता मंत्रालय ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक नई राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति स्थापित की है, जिसका नाम राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) है, जो सहकारी क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करेगा। समिति की उपविधियाँ सदस्यों के लिए लाभों के निर्धारण के संबंध में इस प्रकार प्रावधान करते हैं:

(i) अध्याय 5, उपविधियों के खंड 55 (2) (क) में निम्नलिखित उल्लिखित हैं:

"पिछले उप-खंड के तहत निवल लाभ का विनियोग करने के बाद, निदेशक मंडल की सिफारिशों पर आम सभा निवल लाभ के शेष भाग को निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसी एक या सभी के लिए विनियोजित कर सकती है-

सदस्यों को उनकी प्रदत्त शेयर पूंजी के 20% तक की दर से लाभांश का भुगतान करने का लक्ष्य रखा जाएगा, बशर्ते यदि किसी वर्ष में अवितरित निवल लाभ की कमी के कारण निर्दिष्ट दर से लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता है, तो आम सभा कम दर का निर्णय ले सकती है जिस पर सदस्यों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा।"

(ii) उपविधियों के खंड 58 में लाभांश वितरण का विवरण दिया गया है, जो निम्नानुसार है:

- (1) घोषित लाभांश उस सदस्य को दिया जाएगा जिसका नाम सहकारी वर्ष के अंतिम दिन, जिससे संबंधित लाभांश है और समिति की पुस्तकों में पंजीकृत शेयरधारक के रूप में दर्ज है।
- (2) घोषित किए जाने के पश्चात् तीन वर्ष तक बिना दावा किए शेष कोई लाभांश बोर्ड द्वारा जब्त किया जा सकेगा और उसे समिति की आरक्षित निधि में ले जाया जाएगा।
- (3) भुगतान न किया गया लाभांश आवेदन पर देय होगा बशर्ते कि इसे जब्त नहीं किया गया हो।
- (4) लाभांश उस राशि के अनुपात में होगा जो शेयरों पर चुकाई गई है और पूरे महीनों की अवधि के लिए जिसके लिए वह राशि शेयरधारक के खाते में जमा रही।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) ने सदस्यों को उनकी चुकता शेयर पूंजी के मुकाबले 20 प्रतिशत की दर से लाभांश वितरित किया।